राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः–एफ24(NOC16-17B.A.B.Ed-B.Sc.B.Ed.)/ बी.एड/आकाशि/16/344 दिनांकः–29.9.2016

आदेश

एन.सी.टी.ई. के आदेश क्रमांक के अनुसरण में निम्नलिखित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को सत्र 2016–17 के लिए बी.ए. बी.एड./बी.एस.सी. बी.एड. (4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम) के संचालन हेतु केन्द्रीकृत प्रवेश व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अधोलिखित शर्तो के अधीन अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र एतद्द्वारा जारी किया जाता है।

1. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के माध्यम से पी.टी.ई.टी. परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेगें।
2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई राशि विद्यार्थियों से नहीं लेगे। यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है,तो संबधित विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय की मान्यता को तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा।
3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को एनसीटीई एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मापदण्डों की पूर्ति करने के साथ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी। मापदण्डो की पालना नही करने पर राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर सकेगी।
4. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा उपयुक्त योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जावेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	जिला	सहशिक्षा/ महिला	आवंटित सीट
1	महावीर जैन विद्यालय संस्थान, कीर की चौकी, बडगांव, भीण्डर, तहसील–वल्लभनगर, जिला–उदयपुर।	उदयपुर	सहशिक्षा	100

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री,राजस्थान सरकार,जयपुर।
2. निजी सचिव,अति0मुख्य सचिव,उच्च शिक्षा, (ग्रुप–4)विभाग,राजस्थान,जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त,कॉलेज शिक्षा,राजस्थान,जयपुर।
4. संयुक्त सचिव,उच्च शिक्षा, (ग्रुप–4)विभाग,राजस्थान,जयपुर।
5. समन्वयक बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी. बी.एड. 2016 कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
6. रजिस्ट्रार, सम्बन्धित विश्वविद्यालय को भेजकर लेख कि संस्थाओं का सम्बद्वता प्रदान करने से पूर्व एन.सी.टी.ई. के मान्यता पत्र के बिन्दू 5 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।
7. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीटीई, जीवन बीमा भवन, अम्बेडकर सर्किल,भवानी सिंह मार्ग,जयपुर।
8. परियोजना अधिकारी,राज्य सूचना(एनआईसी), शासन सचिवालय,जयपुर।
9. प्राचार्य सम्बन्धित महाविद्यालय ।
10. प्रभारी वेबसाईट, कॉलेज शिक्षा,राजस्थान, जयपुर को प्रेषित है कि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (निजी संस्था)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।